न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2019

प्रार्थीगण

1. तहसीलदार (भूमिधारी)
   रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. कपूराराम पुत्र वेलाराम
2. धुकाराम पुत्र वेलाराम
3. धापू पुत्री वेलाराम
4. मफीदेवी पत्नि कपूराराम
5. मरगा पुत्री वेलाराम
6. रूपाराम पुत्र वेलाराम
7. सुकी पुत्री वेलाराम
   जातियान ब्राहम्ण साकिन
   रानीवाडा कलां तहसील
   रानीवाडा जिला जालोर
8. अमृतलाल पुत्र भलाराम
   जाति कलबी निवासी
   जाखडी तहसील
   रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी राजपेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 20.09.2021

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा कलां के खसरा नम्बर 1184 रकबा 0.06 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि अप्रार्थीगणों की संयूक्त खातेदारी भूमि आई हुई है। उक्त भूमि रानीवाडा–मण्डार रोड पर है। जिसमें मौके पर काश्त योग्य भूमि को खुर्द बुर्द करके उसमें होटल/ढाबा व्यवसायिक उपयोग में लिया जा रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 ने अप्रार्थी 1 को काश्त योग्य भूमि का कब्जा दे दिया जो अवैध है उक्त भूमि का मौके पर कोई बंटवाडा भी नही करवाकर उक्त भूमि को काश्त के उपयोग में न लेकर अकृषि प्रयोजनार्थ होटल/ढाबा वाणिज्यिक के उपयोग में ले रहे हैं। यह है कि कृषि का बिना रूपान्तरण व आवंटन कराये बिना उस पर कब्जा सुपुर्द कर दिया है। अतः मौजा रानीवाडा कला के खसरा नम्बर 1184 रकबा 0.06 हेक्टेयर को अप्रार्थीणों के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत बेदखली व उनके खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त 0.06 हेक्टेयर भूमि को सिवायचंक कराने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:23 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 के नोटिस बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त प्रकरण में विवादीत आराजी मौजा रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 1184 रकबा 0.06 हेक्टेयर आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की हैं, जो सड़क निकलने पर खेत के दो हिस्से होने पर सडक के पश्चिम की तरफ आई हुई है। उक्त आराजी पर हम अप्रार्थीगण का रहवास हेतु कच्चा निर्माण कार्य भूलवश किया हुआ है। हमउ क्त आराजी का भूमि उपयोग संपरिवर्तन करावाना चाहते है। इसलिये हमें उक्त भूमि के उपयोग संपरिवर्तन करवाने हेतु तीन माह का समय दिये जाने के आदेश फरमावें।

4. प्रार्थी अमृतलाल पुत्र भलाराम जाति कलबी निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार अप्रार्थी संख्या 8 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। तथा इनकी ओर से जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा कलां के नवीन खसरा नम्बर 1184 दिनांक 0.06 हेक्टेयर आराजी मुझ प्रार्थी ने उक्त आराजी के खातेदार कपूराराम व मफीदेवी से जरिये पंजीबद्व बैचान दस्तावेज के दिनांक 17.12.2020 को खरीद की हुई हैं। उक्त आराजी में पूर्व के खातेदारान द्वारा अपनी गरीबी की हालत में जिविकोपार्जन के लिये कच्चे टीनशेड का निर्माण किया था। उनका उ़द्वेश्य कृषि भूमि के दूरूपयोग का नही था। वर्तमान में उक्त आराजी मैनें खरीद ली हैं तथा मौके पर मेरा कब्जा हैं। मैं प्रकरण हाजा के निस्तारण के तीन माह के भीतर उक्त आराजी का संपरिवर्तन करवा दूंगा। इसलिये प्रकरण हाजा की कार्यवाही को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप करने के आदेश फरमावें।

5. हमने राजपेरोकार व अप्रार्थीगण के विद्वांन अधिवक्ता की बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस के तथ्य पर मनन किया गया । हस्तगत प्रकरण में वर्तमान जमाबंदी सवंत 2074–77 में खाता संख्या 102 में खसरा संख्या 1184 में खातेदार अमृतलाल पुत्र भलाराम जाति कलबी निवासी जाखडी खातेदार दर्ज है। इस प्रकरण में पूर्व खातेदार/अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया गया था। जिस पर भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है। उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 8 अमृतकूमार पुत्र भलाराम को बैचान की गई। इस अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री जबराराम पूरोहित का वकालतनामा प्रस्तुत किया। साथ ही प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया गया। जिनके द्वारा पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया गया है। जिसको नियमों के अंतर्गत नियमित करवाने की कार्यवाही करना चाहता हु जिसके लिए मूझे समय 3 माह दिया जावें। परन्तु इस प्रकरण में इतना लम्बा समय दिया जाना इस प्रकरण में उचित नही मानता हूं अतः एक माह का अवसर प्रदान किया जाता है [illegible] प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि उक्त अवधी में उक्त आराजी को अकृषि प्रयोजनार्थ नियमों के तहत नियमितिकरण कराने की कार्यवाही कर उसकी सूचना [illegible] प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 16:08:23 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा उक्त समयावधि में किसी प्रकार की कार्यवाही नही करने की स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार(प्रार्थी पक्ष) द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रिसिवर की हैसियत से अप्रार्थी की आराजी का कब्जा राजहक में ले सकेगा। अतः उक्त प्रार्थना पत्र उक्त स्थिति में निर्णित किया जाता है, एवं निर्णय की पालना करवाने हेतु प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति भेजकर पाबंद किया जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:23 IST
Reason: SelfAttested